

**राजस्थान सरकार**  
**सामान्य प्रशासन(ग्रुप-2)विभाग**

क्रमांक :- प. 16(1)साप्र/2/2022

जयपुर, दिनांक : 07.10.2024

-: आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरीयतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन/परिवर्तन किया जाता है:-

क्र.स.	वरीयता संख्या	नाम व पदनाम	सेवानिवृति दिनांक	आवंटित आवास संख्या
1.	183/2012	श्री अब्दुल खलील कुरेशी, सहायक प्रोग्रामर, जन अभियोग निराकरण विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।	30.06.2041	एफ-927, गांधीनगर (नया नं. 4/146)
2.	186/2013	श्री शेर सिंह यादव, प्रशासनिक अधिकारी अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।	30.06.2028	4/17, गांधीनगर (4/106, गांधीनगर के स्थान पर प्रथम परिवर्तन के अन्तर्गत)
3.	99/2014	श्री अखलाक उस्ता, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी राजकीय उपक्रम ब्यूरो, जयपुर।	31.12.2047	एफ-928, गांधीनगर (नया नं. 4/147) (4/120, गांधीनगर के स्थान पर प्रथम परिवर्तन के अन्तर्गत)
4.	408/2017	श्री अमित सैनी अनुभागाधिकारी उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.05.2043	एफ-981, गांधीनगर (नया नं. 4/168)
5.	120/2014	श्री हनुमान सहाय रैगर, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी रा0बा0उ0मा0वि0, झोटवाडा, जयपुर	31.10.2035	4/51, गांधीनगर (4/109, गांधीनगर के स्थान पर प्रथम परिवर्तन के अन्तर्गत)
6.	144/2014	श्री नाहर सिंह मीणा, वरिष्ठ रेडियोग्राफर मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर।	31.07.2035	एफ-982, गांधीनगर (नया नं. 4/169)
7.	148/2014	श्री कुलदीप सिंह खंगारोत कनिष्ठ सहायक उप निदेशक (प्रशा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर।	31.08.2043	एफ-983, गांधीनगर (नया नं. 4/170)
8.	75/2020	श्री रमेश चन्द्र मीना अनुभागाधिकारी आयोजना (वित्त) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.06.2042	4/26, गांधीनगर
9.	149/2014	श्री आकिब जावेद अंसारी सहायक रेडियोग्राफर कार्यालयाध्यक्ष, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।	20.02.2049	4/36, गांधीनगर
10.	151/2014	श्री मोतीलाल मीणा, केयर टेकर अधीक्षक, मानसिक विमन्दित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिणा विभाग, जयपुर।	31.03.2026	4/78, गांधीनगर



11.	152 / 2014	श्री पवनदत्त पाण्डेय, अध्यापक रा०उ०प्रा०वि० मानपुर टीला सांगानेर जयपुर।	31.01.2034	4 / 81, गांधीनगर
12.	148 / 2020	श्री रमण कुमार प्रजापत लिपिक ग्रेड-1 कार्मिक (क-3 / लिटिगेशन), शासन सचिवालय, जयपुर।	30.09.2054	4 / 82, गांधीनगर
13.	153 / 2014	श्री धनराज परेवा, कनिष्ठ लिपिक उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी परिवार कल्याण जयपुर-द्वितीय जयपुर	30.11.2040	4 / 95, गांधीनगर
14.	155 / 2014	श्री किशोर सिंह राजावत कनिष्ठ लिपिक सी.आई.डी (विशेष शाखा) जयपुर	31.07.2044	4 / 96, गांधीनगर
15.	156 / 2014	श्री ज्ञानेश्वर कुमार पारीक कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरमाडा उपखण्ड-चौमू, जयपुर।	30.04.2027	4 / 97, गांधीनगर
16.	150 / 2020	सुश्री सीमा कुमारी अग्रवाल लिपिक ग्रेड-1 योजना (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। मो. 7597283675	30.11.2048	4 / सी / 14, बहमंजिला, गांधीनगर (रिक्त होने की प्रत्याशा में)
17.	157 / 2014	श्रीमती नीतू जैमन कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत्त 'क' जयपुर	31.08.2035	4 / 107, गांधीनगर
18.	159 / 2014	श्री अरविन्द कुमार यादव लैब टेक्नीशियन वरिष्ठ चिकित्साधिकारी सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.08.2044	4 / 134, गांधीनगर
19.	160 / 2014	श्री उपेन्द्र सिंह बैरवा लैब टेक्नीशियन वरिष्ठ चिकित्साधिकारी सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.07.2042	4 / 137, गांधीनगर
20.	156 / 2020	श्री नवनीत हिंगोनिया लिपिक ग्रेड-1 जन स्वा० अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.07.2055	4 / 138, गांधीनगर
21.	162 / 2014	श्री मुकेश कुमार दादरवाल नर्स ग्रेड-2 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।	31.08.2041	4 / 142, गांधीनगर (पुराना नं. एफ-923)
22.	164 / 2014	श्री भुनेश कुमार मीणा, फार्मासिस्ट अति. प्रधानाचार्य सवाई मानसिंह चिकित्सालय महाविद्यालय, जयपुर।	30.06.2043	4 / 148, गांधीनगर (पुराना नं. एफ-929)

शर्तें :-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 कार्य दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी—चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. क्रम संख्या 16 से कॉमन सुविधा राशि रूपये 150/- (अक्षरे राशि रूपये एक सौ पचास मात्र) सीधे ही इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मन मोहन गौड़)  
वरिष्ठ उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर ।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें
3. पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (विशेष शाखा), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
4. आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग/उद्योग विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
5. निदेशक, अभियोजन विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
6. उप शासन सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
7. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
8. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय/मानसिक विमन्दिता महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/मनो चिकित्सा केन्द्र, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।

9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-1A, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
10. सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरमाडा, उपखण्ड-चौमू, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
11. प्रधानाचार्य, रा0बा0उ0मा0वि0, झोटवाडा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
12. प्रधानाध्यापक/प्राचार्य, रा0उ0प्रा0वि0 मानपुर टीला सांगानेर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
13. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
14. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
15. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
16. सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
17. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
18. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गाँधीनगर जयपुर।
19. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
20. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गाँधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
21. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे एवं पूर्व आवंटित आवास 7 दिवस में रिक्त कर इस विभाग को सूचित करेंगे।
22. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
23. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ उप शासन सचिव